न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 59/प्रा.पत्र/2020 (GCMS No. 2020/00087)	05.10.2020	09.07.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

हजारी आ. रूपा जाति बंजारा,
निवासी ग्राम डाबी, तहसील एवं जिला बून्दी

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी लखा आ. रूपा बंजारा निवासी डाबी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 354 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा वाकेग्राम डाबी आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार अप्रार्थी उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 59/2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2020/00087 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। आवंटन की पत्रावली प्रा0पत्र के संलग्न प्राप्त हुई है। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 354 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा आवंटी लखा आ. रूपा बंजारा निवासी डाबी को दिनांक 22.11.1975 को आवंटन हुई थी। आवंटित भूमि आवंटी लखा आ. रूपा बंजारा के फौत हो जाने से जरिये नामान्तरकरण सं. 645 दिनांक 08.03.2000 से मृतक लखा बंजारा के स्थान पर हजारी आ. रूपा बंजारा के नाम दर्ज हुई। वर्तमान में उक्त आराजी खसरा संख्या 354 रकबा 0.5585 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी पर अप्रार्थी हजारी आ. रूपा बंजारा गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी उक्त भूमि पर शांतिलाल आ. मुकुटलाल जाति ब्राहमण निवासी डाबी ने पत्थर का कोट कर कब्जा कर रखा है। मौके पर वर्तमान में उक्त भूमि पड़त है। आवंटी के वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त खसरा संख्या 354 का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस ~~उभयपक्ष~~ पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि मिसल संख्या 1066/75 पर लखा आ. रूपा बंजारा निवासी डाबी को दिनांक 22.11.1975 को भूमि खसरा सं. 354, 357, 366 कुल रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम डाबी का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 354 रकबा 0.5585 हैक्टेयर पर अप्रार्थी हजारी आ. रूपा बंजारा गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4(4) पर ''आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है आवंटी द्वारा आवंटन किश्त जमा नहीं की जा रही है एवं आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है'' अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पटवारी अनुसार भूमि खसरा संख्या 354 पर अप्रार्थी गैर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं होना तथा अन्य व्यक्ति द्वारा पत्थर का कोट कर कब्जा किया हुआ होना अंकित है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी लखा आ. रूपा बंजारा निवासी डाबी को मिसल संख्या 1066/75 पर किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 354 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा वाकेग्राम डाबी दिनांक 22.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। मौके पर उक्त भूमि पर शांतिलाल आ. मुकुटलाल जाति ब्राहमण निवासी डाबी का कब्जा पाया जाता है तो उक्त अतिक्रमी को अविलम्ब बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी